

पत्रांक- 2249 / FP/UK/ROAD/40356/2019 : देहरादून: दिनांक: 27 जनवरी, 2021.

सचिव प्रमारी,
वन अनुभाग-3,
उत्तराखण्ड शासन।

संदर्भ:-वन अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 1241/X-4-19/1(151) दिनांक 24.12.2019.

की अनुपालन आख्या निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित है :-

1. शर्त सख्या-1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रु0 13,31,100.00 (रु0 तेरह लाख इक्कत्तीस हजार एक सौ मात्र की धनराशि तदर्थ कैम्पा कोष में जमा किया जा चुका है।

1. शर्त संख्या-1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु ₹0 13,31,100.00 (₹0 तेरह लाख इक्कत्तीस हजार एक सौ) मात्र की धनराशि तदर्थ कैम्पा कोष में जमा किया जा चुका है।
2. शर्त संख्या-2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि ₹0 3,84,475.00 (₹0 तीन लाख चौरासी हजार चार सौ पिचहत्तर) मात्र तदर्थ कैम्पा कोष में जमा किया जा चुका है।
3. शर्त संख्या-3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रदत्त एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी का बचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-2)
4. शर्त संख्या-4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण की धनराशि को प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिये गये डिमाण्ड नोट के आधार पर (Online) ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा कर दिया गया है। Online paid status एवं चालान की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-3)
5. शर्त संख्या-5 के अनुपालन में प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों के पालन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-4)
6. शर्त संख्या-6 के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख/प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में पूर्व में ही संलग्न है, जिनकी प्रति पुनः संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-5)

आधार पर (Online) ऑनलाइन पालन के संलग्न है। (संलग्नक-3)

5. शर्त संख्या-5 के अनुपालन में प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों के पालन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-4)

6. शर्त संख्या-6 के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख/प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में पूर्व में ही संलग्न है, जिनकी प्रति पुनः संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-5)

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन के विधिवत स्वीकृति/औपचारिक शासनादेश निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

27/2/24

प्रमुख वन संरक्षक

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

1. जिलाधिकारी, जनपद-अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा।

प्रमुख वन संरक्षक

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,